रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3603] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 5, 2019/कार्तिक 14, 1941
No. 3603] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 5, 2019/ KARTIKA 14, 1941

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2019

का.आ. 3997(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यक्षमता लाता है और फायदाग्राहियों को अपनी हकदारियां एक आसान और धाराप्रवाह तरीके से सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिए बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत का निराकरण करता है;

और भारत सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना **नई मंजिल** (जिसे इसमें इसके पश्चात् योजना कहा गया है) संचालित कर रहा है, जो अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल है;

और स्कीम के अधीन लक्षित समूह अल्पसंख्यक युवा हैं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है), जिन्हें संस्थानों या संगठनों या गैर–सरकारी संगठनों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कौशल विकास पर शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है।

और स्कीम के अधीन प्रशिक्षार्थियों को शैक्षिक कक्षाओं और किए गए कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान प्रति माह वृत्तिका (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) दी जाती है;

और पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत किया गया आवर्ती व्यय शामिल है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:–

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति को उसके पास आधार नंबर होने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करवाना अपेक्षित है।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति, जिसके पास आधार नंबर नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है परंतु

वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जाएंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय के लिए अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, उन फायदाग्राहियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कराना अपेक्षित है जिन्हें अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है और यदि आस–पास में जैसे कि ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वर्तमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से या मंत्रालय स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परंतु किसी व्यक्ति को आधार सौंपे जाने तक स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर दी जाएंगी, अर्थात् :–

(क) (i) यदि उसका नामांकन हुआ है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:–

(i) फोटो सहित बैंक या डाकघर पासबुक; या

(ii) मतदाता पहचान–पत्र; या

(iii) राशन कार्ड; या

(iv) स्थायी लेखा संख्या (पीएएन) कार्ड; या

(v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(vi) पासपोर्ट; या

(vii) शासकीय पत्र–शीर्ष पर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया उस सदस्य का फोटो सहित पहचान प्रमाण–पत्र; या

(viii) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और परेशानी रहित प्रसुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. सभी मामलों में, जहां फायदाग्राहियों के घटिया बायोमैट्रिक्स के कारण या अन्य किसी कारण से आधार अधिप्रमाणन असफल रहता है, तो निम्नलिखित तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थातः–

(क) घटिया फिंगर प्रिंट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, जिसके लिए मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से धारा–प्रवाह तरीके से प्रसुविधाओं को प्रदान करने के लिए फिंगर प्रिंट अधिप्रमाणन के साथ एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैनरों या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्था करेगा;

(ख) जिन मामलों में फिंगर प्रिंट या एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं रहता है, जहां कहीं साध्य और स्वीकार्य हो, वहां सीमित समय की वैधता के साथ, यथा स्थिति, आधार वनटाइम पासवर्ड या समयबद्ध वनटाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन की पेशकश की जाएगी;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमैट्रिक या वनटाइम पासवर्ड या समयबद्ध वनटाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां योजना के अधीन प्रसुविधा वास्तविक आधार–पत्र के आधार पर दी जा सकती है, जिसकी प्रामाणिकता की जांच आधार–पत्र पर छपे क्विक रेसपोंस कोड के जरिए की जा सकती है। क्विक रेसपोंस

कोड रीडर के लिए आवश्यक प्रबंध सुविधाजनक स्थानों पर मंत्रालय द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से करेगा;

4. यह अधिसूचना असम और मेघालय राज्यों को छोड़कर राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी।

[फा. सं. 25—7/2017—एनएम]

एस. के. देव वर्मन, अपर सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2019

S.O. 3997(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Minority Affairs (*hereinafter referred to as the Ministry*) in the Government of India is administering the Central Sector Scheme of **Nai Manzil** (*hereinafter referred to as the Scheme*) which is an integrated education and livelihood initiative for the minority communities;

And whereas, the target groups under the Scheme are the minority youth (*hereinafter referred to as the beneficiaries*) who are given education and training on skill development through Institutions or Organisations or Non-Governmental Organisations (*hereinafter referred to as the Implementing Agencies*);

And whereas, under the Scheme, the trainees are paid a stipend every month (*hereinafter referred to as the benefits*) for the duration of the educational classes and skill training courses undertaken;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) Any individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual eligible for receiving the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to apply for Aadhaar enrolment, provided he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or the Ministry itself becoming Unique Identification Authority of India (UIDAI) Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment; and

(b) one of the following documents, namely:-

(i) Bank or Post Office passbook with photograph; or

(ii) Voter identity card; or

(iii) Ration Card; or

(iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(v) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vi) Passport; or

(vii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or

(viii) any other documents as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, Integrated Risk Information System scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Ministry through its Implementing Agencies shall make provisions for Integrated Risk Information System scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefit in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or Integrated Risk Information System scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases, where biometric or One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry through its Implementing Agencies;

4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory administrations, except the State of Assam and Meghalaya.

[F. No. 25-7/2017-NM]

S. K. DEV VERMAN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.06 16:05:41 +05'30'